कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर (छ.ग.)
(प्रतापपुर रोड, फारेस्ट कैम्पस, अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा)
☎ 07774-240238 (O), 240236 (R), 240238 (F) E-Mail :- dfosouthsurguja_200@rediffmail.com

क्रमांक / तक.अधि. / 2693 अम्बिकापुर, दिनांक / 11 / 5 / 2018

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड,
नमनाकला, अम्बिकापुर (छ.ग.)

विषय :– सी.एम.डी.सी. पथरई बाक्साईट परियोजना हेतु तैयार किये गए बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट प्लान (साथ ही वन्यप्राणी संरक्षण योजना) के अनुमोदन बाबत्।

संदर्भ :– 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक छ.ग. नया रायपुर का पृ.क्र./2304 दिनांक 05.04.2018
2. कार्यालयीन पत्र क्र./तक.अधि./2123 दिनांक 10.04.2018

---00---

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। वन संरक्षक (व.प्रा.) एवं क्षेत्र संचालक एलीफेंट रिजर्व सरगुजा अम्बिकापुर के द्वारा अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। आवेदक संस्थान सी.एम.डी.सी. द्वारा जिला सरगुजा, तहसील मैनपाट, ग्राम पथरई के कुल रकबा 99.350 हे. में खनिज बाक्साईट का खनि पट्टा स्वीकृति बाबत् वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् प्रस्तावि निर्धारित चेकलिस्ट अनुसार तैयार किया गया है।

आवेदक संस्थान द्वारा वन संरक्षण योजना कुल 10 वर्षो के लिए प्रस्तावित की गई है। प्रस्तावित योजना में जल संसाधन विकास, चारागाह विकास, संरक्षण हेतु जागरूकता एवं इसके अतिरिक्त निम्नानुसार 0.500 हे. क्षेत्र में 02 नग तालाब निर्माण में आवश्यक व्यय रूपये 45.65 लाख वर्तमान दरों पर निर्धारित किया गया है।

उक्त प्रोजेक्ट के अनुमोदन बाबत् वन्यप्राणी संरक्षण योजना अन्तर्गत प्रस्तावित राशि रूपये 45.65 लाख कैम्पा पोर्टल में ऑनलाईन ई–चालान जनरेट कर भुगतान उपरांत प्राप्त मूल रसीद इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, ताकि उक्त प्रोजेक्ट को अनुमोदन बाबत् अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

वनमण्डलाधिकारी
सरगुजा वनमण्डल अम्बिकापुर

पृ0क्रमांक / तक.अधि. / 2694 अम्बिकापुर, दिनांक / 11 / 5 / 2018

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक छ.ग. अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नया रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
2. वन संरक्षक (व.प्रा.) एवं क्षेत्र संचालक, एलीफेन्ट रिजर्व, सरगुजा वृत्त, अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
4. उप वनमण्डलाधिकारी सीतापुर एवं वन परिक्षेत्राधिकारी, मैनपाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
सरगुजा वनमण्डल अम्बिकापुर

Scanned by CamScanner